सेवा मे

श्रीमान प्रथम अपीलीय अधिकारी
केन्द्रीय जल आयोग
मुख्य अभियंता कार्यालय (लखनऊ)

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 191 (1) के तहत प्रथम अपील

महोदय,

(1) मैने सूचना का अधिकार कानून 2005 के तहत आपके विभाग के लोक सूचना अधिकारी से निम्न लिखित सूचना उपलब्ध कराने के लिये आवेदन किया है।

(2) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 मे सूचना देने के लिये निर्धारित की गई समयाविधि के समाप्त हो जाने के बाबजूद ।

(क) लोक सूचना अधिकारी द्वारा मुझे अब तक किसी प्रकार की सूचना नही दी गई है।

आपसे निवेदन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा, 19 (1) के तहत इस विषय पर सुनवाई करे। तथा लोक सूचना अधिकारी को मुझे सूचना प्रदान करने का आदेश दे। सूचना का अधिकार के प्रावधान के अनुसार लोक सूचना अधिकारी को मेरे द्वारा मॉगी गयी सारी सूचना निशुल्क उपलब्ध कराने का भी आदेश दे। साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम के उल्लघंन के लिये लोक सूचना अधिकारी पर अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार कार्यवाही करने का आदेश दे।

धन्यवाद

सलग्नक :–

1. आवेदन की प्रति
2. आवेदन शुल्क की रशीद की प्रति

AmerJeet
8/10/24

प्रार्थी
अमरजीत सिंह पुत्र रामसिंह
पता पिपलिया फार्म, बसगर उधमसिंह
नगर (उत्तराखण्ड)

दिनांक
8/10/24

SE(C)

10/10/2024

10/10/2024
SDE (श्री संजय)

ऊपरी गंगा बेसिन संगठन
Upper Ganga Basin Organisation
डायरी सं. 225
दिनांक 10.10.2024
केन्द्रीय जल आयोग, लखनऊ
Central Water Commission, Lucknow

सेवा में

माननीय मुख्य अभियंता /केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

केन्द्रीय जल आयोग एंव शिकायत अधिकारी, लखनऊ

जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी को निम्न सूचनायें प्राप्त करवाने की कृपा करे

शुल्क – 20 रुपये पोस्टल आर्डर सं0– 25G 033016 संलग्न हैं।

1. 9 फरवरी 2024 को हुऐ आउटसोर्सिंग स्टाफ के नये टेंडर की एक प्रति प्रार्थी को उपलब्ध करवाने की कृपा करे अगर नही दी जाती है तो क्यो और किस आधार पर ? कारण स्पष्ट करें।

2. मानसून सत्र मे रात्रि का फोटो किस किस सव डिवीजन में 1 जुलाई से 31 अगस्त तक आया है सभी सब डिवीजनो में डाला जा रहा हैं तो उसकी फोटो एक–एक प्रति प्रार्थी को उपलब्लध कारने की कृपा करे अगर नही दी जाती है तो क्यों और किस आधार पर ? कारण स्पष्ट करें। फोटो प्रति प्राप्त करने का शुल्क का भुगतान प्रार्थी करेगा।

3. अधिशासी अभियंता श्री सर्वजीत कुमार सिंह ने सपोर्ट स्टाफ के टेडर बनाने से पहलें सभी 83 साइटो को निरीक्षण किया था ? अगर किया था तो साइटो पर रुकने की समस्या रोड़ से 2:30 से 4 किमी अंदर जगंली इलाको में जाने की समस्या के बाबजूद टेंडर में डिजिटल डाटा क्यो दर्शाया गया और किस आधार पर ? सही व सत्य कारण स्पष्ट करें।

4. केन्द्रीय जल आयोग में जनसूचना अधिकारी अधिनियम 2005 के तहत सूचनॉए मॉगने पर ससमय सूचना प्रार्थी को नही दी जाती है अधिकारी इसका उल्लंघन क्यो और किस आधार पर करते हैं ? कारण स्पष्ट करें।

5. केन्द्रीय जल आयोग में विभिन्न स्थानो पर कार्यरत सपोर्ट स्टाफ से अधिकारीगण कोई विभागीय कार्य करवाते हैं तो आर्डर लिखित में क्यो नही दिया जाता हैं By मैसेज क्यो दिया जाता है और किस आधार पर ? कारण स्पष्ट करें।

6. केन्द्रीय जल आयोग में अगर किसी J.E. या अधिकारी के गलत कार्य करने व गलत व्यवहार की शिकायत की जाती हैं तो उसके खिलाफ कार्यवाही करने की वजाय उच्च अधिकारीगण उसको वचाने का रास्ता तलाश करने लगते हैं ऐसा क्यो और किस आधार पर किया जाता हैं। कारण स्पष्ट करें।

7. J.E श्री सृजन रस्तोगी साइट मीरगंज,धनेटा ,शेरगढ़ के नाम पर फर्जी टूर बना कर सरकारी गाड़ी से वाहन स0 UP25 DA 8553 अपनी ससुराल गये हैं इस मामले में अभी तक न तो गाड़ी के ड्राइवर से उसका टोल स्टेटमेंट मांगा गया हैं और न ही कोई उचित कार्यवाही हुई ऐसा क्यो हुआ और किस आधार पर ? कारण स्पष्ट करें।

8. सब डिवीजन बरेली से ही रात्रि के फोटो ग्राफ क्यो मॉगे जा रहे हैं अन्य सब डिवीजन से क्यो नही ? और किस आधार पर कारण स्पष्ट करें।

9. J.E श्री सृजन रस्तोगी द्वारा सभी सपोर्ट स्टाफ को मानसिक रुप से प्रताड़ित किया जा रहा हैं 9000रु की नौकरी करने वाले सपोर्ट स्टाफ को नौकरी से निकाल दिया जा रहा हैं केन्द्रीय जल आयोग के उच्च अधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में कार्यवाही क्यो नही है क्यो नही की जा रही है और किस आधार पर ? कारण स्पष्ट करें।

10. J.E श्री सृजन रस्तोगी को सबडिवीजन–बरेली के 5 सुपरवाइजरो की एक गलती नजर नही आती है और सपोर्ट स्टाफ की एक–एक गलती नजर आती हैं। ऐसा भेदभाव क्यो हो रहा है सब डिवीजन बरेली मे और किस आधार पर ? कारण स्पष्ट करें।

11. J.E केन्द्रीय जल आयोग की साइट – भटपुरवा जिला – सीतापुर (उ0 प्र0) में जे0 ई0 श्री सौरभ दूबे और अधिशासी अभियंता श्री सर्वजीत कुमार सिंह ने मिलकर वहां पर खड़े नीम के पेड़ यू0 के0 लिप्टिस के पेड़ और आम के पेड़ कुल मिलाकर लगभग 12 पेड़ कटवा कर बेच लिए जिसकी कुछ कीमत से आधी टूटी दीवार बनवा ली और वाकी पैसा हजम कर गये काटे गये नीम के पेड़ व आम के पेड़ की परमीशन S.D.M या वनविभाग से ली होगी उसकी एक प्रति प्रार्थी को उपलब्ध करवाने की कृपा करे अगर नहीं दे सकते तो क्यों और किस आधार पर ? कारण स्पष्ट करें।

यदि सूचना आपके विभाग/ अधिकारी से संबधित न हो तो जनसूचना अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संबधित विभाग/ अधिकारी को हस्तांतरित करने की कृपा करे एंव प्रार्थी को सूचना समय से उपलब्ध करवाने की कृपा करे।

दिनांक – 3/9/24

प्रतिलिप सूचनायें:–

1. माननीय सचिव महोदय, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली
2. माननीय चेयरमेन महोदय, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली
3. श्री मान अधीक्षण अभियंता महोदय, केन्द्रीय जल आयोग, देहरादून
4. श्री मान मुख्य अभियंता महोदय, केन्द्रीय जल आयोग,लखनऊ
5. श्री मान अधिशासी अभियंता महोदय, केन्द्रीय जल आयोग,लखनऊ
6. माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली
7. माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तराखण्ड सरकार देहरादून

Amerjeet 3/9/24

प्रार्थी
अमरजीत सिंह पुत्र रामसिंह
पताः–पिपलिया फार्म, बसगर उधमसिंह नगर
उत्तराखण्ड पिन कोड़ 263151

COUNTERFOIL

To be detached and kept by the Sender.

पोस्टल आर्डर

रुपए 20.00 Rs.

POSTAL ORDER

To whom payable मुख्य अभियंता महोदय

At what Office लखनऊ

Whether crossed ....

Date sent 3/3/24

25G 033016

NOT NEGOTIABLE

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

POSTMASTER

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO श्री मान मुख्य अभियंता महोदय
केन्द्रीय जल आयोग, लखनऊ को

THE SUM OF RUPEES TWENTY ONLY

रुपए 20.00 Rs.

AT THE POST OFFICE AT
देहरादून (लखनऊ)

COMMISSION 1.00 RUPEE

SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE
अमरजीत सिंह अंसारी जमील
पिपलिया फार्म बमनार
ऊधमसिंह नगर उत्तराखण्ड
263151

DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

25G 033016

RU168175436IN

RU168175436IN IVR:8283168175436

RL FATEHGANJ PASI (241206)

Counter No:1,04/09/2025,10:52

To:MUKHIA ADHIKANIA,C JAI PTUG

PIN:226001, Lucknow GPO

From:AMARJEET SINGH,PIPLIYA FOKH

Wt:20gms,REG=17.0

Amt:73.70,Tax:3.70,Amt.Paid:76.00(Cash)

(Track on www.indiapost.gov.in)